27.5.24	जरावली प्रार्थी / वादी के हक की प्रतिवाद पत्र पर पेश हुई। वकील वादी ने प्रतिवाद पत्र आदेश 22 नि.3 व सपठित आदेश 1 नि.10 का मिसि वकालतनामा एवं प्रतिवाद पत्र वादी राजीनामा के आधार पर खारिज किये जाने बाबत पेश किया। प्रतिवाद पत्र	रामपीलाल महेशचन्द प्रेम राजकुमारी मन्जू देवी

आदेश 22 नि.3 व सहपठित आदेश 11 नि.10 व जाप्ता पत्र वकील वादी का कथन है कि वादी सेला 01 गोपाल सिंह का निधन 20.2.2024 को हो गया है। स्व. गोपाल सिंह ने अपने निधन पश्चात वादिन एवं उत्तराधिकारी के रूप में पत्नि रामकुमारी, पुत्रगण रामसीताराम, महेशचन्द, प्रेमसिंह, हनुमान रामकुमारी, व मंजूदेवी को छोड़ा है। जबकि स्व. गोपालसिंह के बाद के पीछे "फौत राजस्व" अंकित कराया है। वादिन एवं उत्तराधिकारियों को वादी सेला 1, लगायत 1/6 के रूप में निम्नलिखित रूप से पक्षकार प्रक्रम करना जरूरी आवश्यक एवं न्याय संगत है। सेवायोजित शीघ्र बाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। वकील प्रतिवादी ने पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति पेश नहीं की। सहमति जाहिर की। गोपाल सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया।

मनन पक्ष व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र आदेश 22 नि.3 सपठित आदेश 11 नि.10 सी.पी.सी. विद्यमान वादिगण को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी जाती है। वकील वादी ने सेवायोजित शीघ्र पेश किया। प्रार्थना पत्र वादी रामसीताराम के आधार पर वादिगण लिखे जाने पर सुना गया। वकील वादी ने कथन किया कि वाद पत्र की मद संख्या 1 अ में वर्णित आराजी अमल नम्बर 178 वाके ग्राम हजारी, तहसील व जिला धौलपुर के वादी सेला 2 लगायत 4 व वादी सेला 1, लगायत 1/6 के पति व पिता गोपाल सिंह अभिलिखित खाते पर काबिज है। तथा विवादित आराजी मद नम्बर 1 ब में वर्णित आराजी अमल नम्बर 179, 798/180, 799/176 वाके ग्राम हजारी तहसील व जिला धौलपुर के अभिलिखित

उप जिला कलेक्टर
धौलपुर (राज.)

Crim-1

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम धौलपुर

गोपाल सिंह बनाम राजेन्द्र सिंह वगैरह

मुकदमा नं. 7 सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	उभयपक्ष परिवारी सं. 1 व 2 है। उनकी बाद भूमि की कब्जा 1 अ व 1 ब में कायम विवादग्रस्त होने की सूचना एक दूसरे व्यक्ति व्यक्त की हुई है। वादीगण ने परिवारी सं. 1 व 2 के विरुद्ध धारा 188, व 183 R.T.A. के तहत स्थाई निषेधाज्ञा एवं कब्जा वापसी हेतु दावा दरिया में वादीगण एवं परिवारी सं. 1 व 2 के मध्य आपस में समझौता हो चुका है। तथा उभयपक्ष के आपसी सहमति के आधार पर विवादग्रस्त भूमि की बाकायदा तौर पर पैमाइश करानी है। जो पैमाइश के फलस्वरूप उभयपक्ष की मौजूदगी में निशान दही होने के पश्चात उक्त आपस समझौता की सीमाओं पर पत्थरगढ़ी की जुकी है। उभयपक्ष के मध्य दरिया में कोई भी विवाद शेष नहीं है। आपसी सहमति के आधार पर करवाई गई पैमाइश में व पैमाइश के आधार पर स्थापित पत्थरगढ़ी से अविवाद से हमेशा काबिज रहेंगे। तथा उक्त समझौता की सीमाओं पर उभयपक्ष हाल स्थापित पत्थरगढ़ी को चली नहीं हटायेंगे तथा एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप एवं अवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। यह शर्तनामा पर आपसी सहमति के आधार पर बिना किसी दबाव एवं प्रभाव के, मुझे साफ लिख लिखा कुछ को अदालत में प्रस्तुत किया। उभयपक्ष के मध्य आपसी सहमति से हुए समझौता के आधार पर उक्त वाद पत्र वापिस किया जाये। वादीगण एवं परिवादीगण खर्च अदा करें। वादीगण	उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज0)

की पहचान श्री भोलाराम पु. ने हना प्रतिवादीगण की पहचान श्री बद्रीलाल पिता हड़ ने की। प्रार्थना पत्र न पत्रावलि का अंग बना। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य रजीनामा हो जाने ही वादीगण उपस्थित के मध्य आपसी रजीनामा के आधार पर आपस की वापिस (विड्रो) करना चाहते हैं। वादीगण अपने वाद को किसी भी स्टेज पर वापिस ले सकते हैं। अतः दावा उपस्थित के मध्य आपसी सहमति से हुए रजीनामा के आधार पर वादीगण को विड्रो करने की अनुमति दी जाती है। अतः दावा विड्रो के आधार पर खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
बौंलपुर (राज.)